न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्याः 20/18 **निर्णय दिनांकः 20–01–2020**

1. सवाईसिंह पुत्र उत्तमसिंह जाति राजपूत निवासी डेलीतलाई तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–प्रार्थी

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

–अप्रार्थी

रिव्यू प्रार्थना पत्र विरुद्व निर्णय दिनांक 25–06–2018
राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

उपस्थितः

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री रामावतार बूरी, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

प्रार्थी ने यह रिव्यू प्रार्थना पत्र राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 25–06–2018 जिसके द्वारा प्राथीगण की अपील खारिज की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 229 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 12–03–2018 के विरूद्व माननीय न्यायालय के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 23 उपनिवेशन के तहत प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील में कथन किया गया था कि प्रार्थी को उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 11 डीजेएम के मुरब्बा नम्बर 146/08 में 24 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था। परन्तु उक्त रकबा 20 प्रतिशत राशि जम नहीं करवाये जाने के कारण व अन्य व्यक्ति को आवंटित होने के कारण खारिज कर दिया गया। जबकि इस संबंध में अपीलांट/प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सूचना प्रदान नहीं

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

की गई। अदालत मातहत द्वारा यदि प्रार्थी को कोई नोटिस जारी भी किया गया था तो उसकी तामील होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने पर भी न्यायालय हाजा द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बिना आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

उन्होनें आगे बताया कि प्रकरण में माननीय न्यायालय के समक्ष आरआरटी 2016 पार्ट II पेज 1338 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया गया था। उक्त न्यायिक दृष्टांत को न्यायालय हाजा द्वारा पढ़ा ही नहीं गया तथा न्यायिक दृष्टांत में साईक्लोस्टाईल आदेश के अलावा अन्य सिद्वान्त भी प्रतिपादित किये गये है उन्हें पढ़ा तक नहीं गया ना ही देखा गया। जो एरर अपरेन्ट ऑफ दी फेस ऑफ दी रिकार्ड की श्रेणी में आता है। इसी कम में न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त नजीर प्रस्तुत करते हुए धारा 13 – ए (5) (4) के प्रावधनों के अनुसार विशेष आवंटन हेतु भूमि के लिये आवेदन मांगने पर आवेदक को किसी प्रक्रिया के कारणवश भूमि आवंटित ना होने पर विशेष आवंटन के लिये आवेदन आमन्त्रित किये गये थे, उसे वैकल्पिक अनावंटित भूमि आवंटित की जा सकेगी, ऐसी अनावंटित भूमि के आवंटन के लिये अन्य आवेदकों के कोई आवेदन लम्बित न हो। ऐसी स्थिति में उक्त नजीर के प्रकाश में अपीलांट/प्रार्थी को ऐसी अनावंटित/अनावेदित भूमि के आवंटन हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना चाहिए था। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत के विपरीत जाकर आदेश पारित किया जाना स्पष्ट रूप से एरर अपरेन्ट ऑफ दी फेस ऑफ दी रिकार्ड होने से नजरसानी मंजूर किये जाने योग्य है।

प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अभिलिखित किया गया है कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा 20 प्रतिशत राशि आवंटन के 6 माह के भीतर जमा करानी आवश्यक है। जबकि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, ना ही ऐसा कोई न्यायिक दृष्टांत है। न्यायालय हाजा द्वारा बिना किसी कानून के 6 माह में राशि जमा ना कराने को आधार मानकर अपील को खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा द्वारा कानून व रिकार्ड के विपरीत जाकर आदेश पारित किये गये है। जो एरर अपेरन्त ऑन दा फेस ऑफ रिकार्ड होने से प्रार्थी का नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपील निर्णय दिनांक 25–06–2018 में किसी प्रकार की विधिक व तकनीकी त्रुटि नहीं है। रिव्यू प्रार्थना पत्र का स्कोप बहुत सीमित है। नजरसानी जैर आदेश में केवल ऐरर ऐपेरन्ट ऑन दी फेस ऑफ रेकार्ड होने पर ही हस्तक्षेप किया जा सकता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि

यदि निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण गलत हो तो भी उसे नजरसानी के माध्यम से हस्तक्षेप का आधार नहीं बनाया जा सकता। अतः प्रार्थीगण का नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रार्थीगण/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि चक 11 डीजेएम के मुरब्बा नम्बर 146/8 की 25 बीघा भूमि के बाबत् 20 प्रतिशत राशि जमा करवाते हुए आवंटन आदेश जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जो कि इस आधार पर खारिज किया गया कि प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि चक 11 डीजेएम के मुरब्बा नम्बर 146/8 की 14 बीघा 18 बिस्वा भूमि मतीसिंह पुत्र मेघसिंह के नाम खातेदारी दर्ज होने के आधार पर खारिज किया गया जिसके विरुद्व प्रार्थीगण ने अपील पेश की थी। जो दिनांक 25–06–2018 को प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी करने के उपरान्त भी राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण व वादग्रस्त भूमि अन्य को आवंटित होने के कारण खारिज कर दी गई।। प्रार्थीगण ने रिव्यू प्रार्थना पत्र में अपील के मेरिट के तथ्य बताये है। प्रार्थीगण ने अपील के निर्णय में ऐसा कोई तथ्य नहीं बताया जो ऐरर ऐपेरन्ट ऑन दी फेस ऑफ रेकार्ड हो। रिव्यू प्रार्थना पत्र का स्कोप बहुत सीमित है इसलिए मेरिट के तथ्यों पर विचार नहीं किया जा सकता।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 25–06–2018 कायम रखा जाता है

8. निर्णय आज दिनांक 20–01–2020 को मेरे द्वारा लिखाय जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.03 12:01:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: